

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
JODHPUR

S.B. Civil Writ Petition No. 9584/2026

Jagdish

-----Petitioner

Versus

Management Committee

-----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Dilip Sharma

For Respondent(s) :

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA
Order

05/05/2026

याची के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

याची के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि निष्पादन की कार्यवाही को इजराय न्यायालय ने इस आधार पर निस्तारित कर दिया है कि डिक्रीदारों ने गणना करके बकाया विवरण (statement) प्रस्तुत नहीं किया है और बिना विवरण के यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि मद्यून से और कितनी राशि वसूल की जानी है। उनका तर्क है कि उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्चीगण की याचिकाएं सिविल रिट संख्या 6082/2020, 6001/2020, 6057/2020, 6682/2020, 6708/2020, 3876/2021, 5953/2021, 6168/2021 व 1625/2022 दिनांक 26.04.2023 को निर्णीत करते हुए आदेश में प्रत्यर्ची/मद्यून संस्थान को निर्देशित किया था कि वे आदेश के 15 दिवस के भीतर सभी कर्मचारियों के ड्यू ड्रोन विवरण सरकार के सक्षम प्राधिकारी को पेश करें। जिम्मेदारी संस्थान व सरकार की थी।

सुना गया।

अयाचीगण को तीन सप्ताह में वापसी योग्य नोटिस जारी किये जावें।

याची के विद्वान् अधिवक्ता को निर्देशित किया जाता है कि अयाचीगण की तामील हेतु नोटिस मय आदेशिका शुल्क पेश करें, जो पेश होने पर नोटिस जारी हो।

नोटिस की एक प्रति अधिवक्ता याची को दस्ती प्रदान की जाए।

(SHUBHA MEHTA),J